वादी सिद्धोबाई सहित अधिवक्ता श्री एस०एस० तोमर उप०।

प्रति०क० १ एवं ३ सहित तथा प्रति०क० 2, ३ एवं ५ द्वारा अधिवक्ता श्री जी०एस० गुर्जर उप०। प्रति०क० ६ लगायत १० पूर्व से एकपक्षीय।

प्रकरण आज वादी साक्ष्य हेतु नियत है। आज दिनांक को वादिया सिद्धोबाई तथा प्रतिवादी गौरीशंकर एवं जयप्रकाश उप0 हैं। आज दिनांक को वादिया द्वारा राजीनामा आवेदन प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया कि उसका प्रतिवादीगण से न्यायालय के बाहर राजीनामा आवेदन में वर्णित अनुसार राजीनामा हो चुका है एवं राजीनामा होने के कारण वह अपने दावे को आगे नहीं चलाना चाहती है अतः उक्त प्रकरण राजीनामे के आधार पर निरस्त किया जावे।

उक्त राजीनामा आवेदन के संबंध में वादिया सिद्धोबाई एंव प्रतिवादी गौरीशंकर एवं जयप्रकाश के आदेश 23 नियम 3 सीपीसी के अंतर्गत राजीनामा कथन अंकित किए गए। वादिया सिद्धोबाई ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में प्रतिवादीगण से राजीनामा कर लेना व्यक्त किया एवं यह भी व्यक्त किया है कि वह प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहती है। प्रतिवादी गौरीशंकर एवं जयप्रकाश ने भी दावा निरस्त किए जाने पर कोई आपत्ति न होना प्रकट किया है।

चूंकि उभयपक्षों के मध्य राजीनामा हो चुका है एवं वादिया राजीनामा होने के कारण दावे को आगे नहीं चलाना चाहती है। अतः प्रस्तुत प्रकरण वादिया द्वारा आगे न चलाए जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

प्रकरण में व्यय तालिका बनाई जावे। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

> सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) ए.सी.जे.–1 गोहद

05-01-18